तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
	बार 2 आवाज दिलवाई गई, अनु.है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 T 04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वास्ते पेश करने जवाब सरकार दिनांक- 11/3/2024 को पत्रावली पेश हो।	
11/3/24	पत्रावली पेश। जवाब सरकार मूल वाद मे अंकित किया गया। वास्ते बहस अंतिम पत्रावली दिनांक- 06/05/2024 को पेश हो।	
6/5/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उप० है। बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 23/05/2024 को पेश हो।	
23/5/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे अंकित विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमियां है, जिन पर पक्षकारान अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त होना अंकित किया गया है। इमने विवादित भूमियो के बटवारे बाबत दावा पेश किया हुआ है। बटवारा होने तक अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर दखलन्दाजी नहीं करने। बेदखल नहीं करने व काश्त मे व्यवधान नहीं करने हेतु प्रार्थना की गई है। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनु. रहे है। न्यायालय विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के हिस्से की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता है ताकि	

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भविष्य में न्यायालय में अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो। प्रथम दृष्टया मामला आंशिक तौर पर प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनता है। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना भी प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को ~~आगामी आदेश~~ वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि खाता सं. 47 ख० नं० 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 127, 82, 86, 88, 89, 90 कुल किता 18 कुल रकबा 5.4067 हेक्टेयर वाके ग्राम रामपुरिया प० म० सदुसपुरिया में निहित प्रार्थीगण के खाते व हिस्से की भूमि पर दखलन्दाजी नही करे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, काश्त करने से नही रोके, ऐसा न स्वयं करे एवं न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाये। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	